

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल शर्मा
श्री मोपालसिंह (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 2018

दायर दि० ५-५-२०१८
फैसल दि० ५-५-२०१८

श्री जगदीश / हुका पटेल
(वादी) हुडमाला

अनवान

बनाम

श्री भूमिधारी तहसीलदार
(प्रतिवादी) सागवाडा

वादी श्री जगदीश / हुका पटेल ने वाद प्रस्तुत कर

मोजा हुडमाला के खाता नम्बर 62 जमाबन्दी सं० 2012-75

में अंकित स्वयं/पिता का नाम जगदीश

गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है

। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर

रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम जगदीश

पिता हुका है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम जगदीश

दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशांसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम जगदीश पिता हुका

पटेल निग हुडमाला होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता

पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद

स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/गलियाकोट को आदेश

दिया जाता है कि मोजा हुडमाला की जमाबन्दी संवत् 2012-75

के खाता संख्या 62 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत

नाम जगदीश

में संशोधन कर सही नाम

जगदीश दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

३३

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा